

## राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : डीसी/ए-1/2016/1523

दिनांक : 23/9/2016

परिपत्र

प्रायः देखने में आया है कि औषधि निर्माता फर्मों द्वारा विभाग में ई-चालान व विभिन्न विषयों के संबंध में आवेदन पत्रादि प्रस्तुत किये जाते हैं तथा जिनमें प्रथम दृष्टया खामियां/कमियां पाई जाती हैं।


अतः इस संबंध में सभी को निम्न बिन्दुओं की पालना हेतु निर्देशित किया जाता है तथा लेख किया जाता है कि इनकी पूर्ति के अभाव में आपका आवेदन खारिज कर दाखिल दफ्तर किया जा सकता है:-

ई-चालान के क्रम में:-

विभाग को प्रस्तुत किये जाने वाले ई-चालान में विभाग का नाम, बजट हैड (0210-04-800-02-00 Other Receipts), रिमार्क में फीस जमा कराने का उद्देश्य यथा नया लाईसेंस/लाईसेंस नवीनीकरण/टेस्ट लाईसेंस/प्रोडक्ट्स नवीनीकरण/एडिशनल प्रोडक्ट्स मय उनकी संख्या व लाईसेंस नम्बर अंकित की जावे या अन्य कोई उद्देश्य हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।


अनुरोध पत्र (Covering Letter) के क्रम में:-

- अनुरोध पत्र (Covering Letter) में प्रोडक्ट्स के नाम अंकित किये जावें।
- ई-चालान का जी.आर.एन. व राशि अंकित की जावे।
- प्रोडक्ट शीट पर लाईसेंस नम्बर व फार्म नं० अंकित हो तथा दो मूल प्रतियों में अण्डटेकिंग सहित प्रस्तुत की जावे।
- आवेदित प्रोडक्ट्स की कटेगरी यथा टेबलेट, केप्सूल, सिरप आदि का अंकन Covering Letter में किया जावे व उनके दस्तावेज संलग्न किये जावें जैसे- लाईसेंस की छाया प्रति, नवीनीकरण से संबंधित फार्म-26 की प्रति व एडिशनल कटेगरी से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जावें।
- लोन लाईसेंसी को जिस पते पर लाईसेंस जारीशुदा हैं उसका पता अंकित किया जावे।

  
(डा० मनोज कुमार त्रिपाठी)  
औषधि नियंत्रक  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. M/s .....
2. समस्त डेस्क प्रभारी, औषधि नियंत्रण संगठन को भेजकर लेख है कि उनके कार्यक्षेत्र के निर्माताओं को उक्त निर्देश प्रसारित करें।
3. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण संगठन, मुख्यालय, जयपुर।
4. सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि ई-चालान का इन्द्राज रजिस्टर में किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र de-face करें।
5. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. रक्षित पत्रावली/सी-डेस्क।

  
(डा० मनोज कुमार त्रिपाठी)  
औषधि नियंत्रक  
राजस्थान, जयपुर